an>

Title: Regarding National Crop insurance Scheme.

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर दिया। मेरा मुद्दा नयी राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लागू किए जाने के सम्बन्ध में है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार खेती है। लेकिन आज भी खेती प्रकृति पर आधारित है। देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या इस कार्य पर निर्भर है। देश के किसान प्राकृतिक आपदाओं के शिकार होते हैं, जिसके कारण वे कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं और इसी कारण से वे आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। वैसे भी खेती से किसानों की स्थिति खराब हुई है। कृषि योग्य भूमि घट रही है। एक समय ऐसा आएगा जब देश अनाज के एक-एक दाने के लिए विदेशों का मोहताज हो जाएगा। देश में जिस अनुपात में सिंचाई और बिजली चाहिए वह नहीं है। लगातार कृषि उत्पादन में खर्च बढ़ता जा रहा है। उस पर रोक नहीं लग पा रही है। मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों ने खेती को घाटे के धन्धे से फायदे का धन्धा बनाने के लिए कई कारगर क़दम उपाय किए हैं। किन्तु केन्द्र सरकार के सहयोग के बग़ैर किसानों की मदद नहीं हो सकती है। इसलिए केन्द्र एवं राज्य सरकार को मिलकर नई राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को लागू करना चाहिए। जिसमें किसान के खेत को इकाई माना जाए तथा प्रीमियम की राशि में 40 प्रतिशत केन्द्र सरकार, 40 प्रतिशत राज्य सरकार तथा 20 प्रतिशत किसान स्वयं जमा करें। इस आधार पर फसलों के बीमा की योजना बनायी जाए तभी देश का किसान ऊभर सकता है। अभी जो फसल बीमा योजना है, उसका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। केन्द्र सरकार नई फसल बीमा योजना पर एक मसौदा तैयार कर रही है और मैं चाहता हूं कि उसमें इस प्रावधान को भी शामिल किया जाए।

माननीय अध्यक्ष :

श्री पी.पी. चौधरी,

डॉ. किरीट पी. सोलंकी,

श्री शिवकुमार उदासि,

श्री देवजी एम. पटेल,

डॉ. सत्यपाल सिंह,

श्री ओम प्रकाश यादव और

डॉ. संजय जयसवाल को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।